(20)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 5, 2004/कार्तिक 14, 1926
No. 260] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 5, 2004/KARTIKA 14, 1926

संस्कृति मंत्रालय
संकल्प

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2004

सं. 2-16/2004-यू.एस. (अकादमी)—जबकि भारत सरकार को कतिपय प्राचीन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और जबकि सभी संगत मुद्दों पर विचार करने के पश्चात् और भाषा-विज्ञान विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात् भारत सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना सं. IV-14014/7/2004-एन आई-II के जरिए तमिल भाषा को एक शास्त्रीय भाषा घोषित कर दिया है।

जबकि किसी भाषा के उद्गम के वर्ष को सही-सही सुनिश्चित करना अक्सर कठिन होता है, क्योंकि किसी भी भाषा की एक विशेष पहचान भाषा उद्विकास की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही प्राप्त होती है। अत: भारत सरकार ने भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में श्रेणीबद्ध करने के लिए भावी माँगों पर विचार करने के लिए भाषा-विज्ञान विशेषज्ञों की निम्नानुसार एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

डॉ. अन्विता अब्बी
भाषा विज्ञान प्रोफेसर
सेंटर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड इंग्लिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिट्रेचर एंड कल्चर स्टडीज
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067
फोन : 26172401, 26174154 (घर)/26704234 (यूनिवर्सिटी)
फैक्स : 011-26165886 (फैक्स)
ई-मेल : anvitaabbi@hotmail.com

डॉ. के. वी. सुब्बाराव
भाषा विज्ञान विभाग,
न्यू आर्ट्स फैकल्टी बिल्डिंग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110007
फोन : 011-27667126 (कार्यालय)/27141791 (घर)
मोबाइल : 9810605455
ई-मेल : kvs2@vsnl.com

प्रो. उदय नारायण सिंह
निदेशक,
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान,
मानसगंगोत्री
मैसूर-570006
फोन : 0821-2515820
फैक्स : 0821-2515032
ई-मेल : chasa@sancharnet.in/udaya@ciil.stpmy.soft.net

डॉ. बी. एन. पटनायक (सेवानिवृत)
अंग्रेजी (भाषा विज्ञान) के प्रोफेसर
अध्यक्ष, सृजनात्मक लेखन और प्रकाशन केन्द्र
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर,
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग,
कानपुर-208016
फोन : 0512-2592205/2598327 (घर)/2597632 (डी)
फैक्स : 0512-2590260/2590007
ई-मेल : panaik@iitk.ac.in

3321 GI/2004

प्रो. भ. कृष्णमूर्ति
मकान सं. 12-13-1233, "भारती"
गली सं. 9, तरनाका,
हैदराबाद-500017
फोन : 040-27005665
ई-मेल : hydi-bhk@sancharnet.in

अध्यक्ष,
साहित्य अकादमी (पदेन सदस्य)

संस्कृति मंत्रालय प्राप्त अनुरोध को उपर्युक्त समिति के ध्यान में उनके विचारार्थ लाएगा।

समिति निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित करने के ऐसे भावी दावों पर विचार करेगी :

(क) उक्त भाषा के आरंभिक पाठ का अत्यधिक प्राचीन होना/हजारों वर्ष से ऊपर का अभिलेखित इतिहास।

(ख) प्राचीन साहित्य/पाठ का एक संग्रह, जिसे, उक्त भाषा को बोलने वालों की कई पीढ़ियों द्वारा एक बहुमूल्य धरोहर समझा जाता हो।

(ग) साहित्यिक परंपरा मूल रूप में होनी चाहिए न कि किसी अन्य भाषा-भाषी समुदाय से नकल की गई हो।

(घ) शास्त्रीय भाषा और साहित्य, इसके वर्तमान रूप से भिन्न हो सकते हैं अथवा इसके बाद वाले रूप अथवा इसकी शाखाओं से असंगत हो सकते हैं (जैसे-लैटिन बनाम रोमन, संस्कृत-पाली बनाम प्राकृत और आधुनिक भारतीय-आर्य)।

जबकि भारत सरकार ने आगे यह निर्णय लिया है कि शास्त्रीय भाषाओं के रूप में घोषित अथवा अधिसूचित भाषाओं को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे :—

(i) भारतीय शास्त्रीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वानों के लिए दो बड़े अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएँ।

(ii) शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की जाए।

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आरंभ में कम-से-कम केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ विद्वानों के लिए शास्त्रीय भाषाओं के कतिपय व्यावसायिक पदों का सृजन करने का अनुरोध किया जाए।

के. जयकुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

RESOLUTION

New Delhi, the 1st November, 2004

No. 2-16/2004-US (Akademies).—Whereas the Government of India received, from time to time, representations for declaring certain languages of antiquity as classical languages and whereas after taking into consideration all relevant issues and after consultation with Linguistic Experts, the Government of India declared Tamil language as one of the classical language *vide* Notification No. IV-14014/7/2004-NI-II dated 12th October, 2004 issued by Ministry of Home Affairs, Government of India.

Whereas it is often difficult to exactly pinpoint the year of origin of a language, since it is the product of a long process of evolution and the final arrival of a specific linguistic identity. Therefore, the Government of India has decided to set up the following Committee of Linguistic Experts to consider future demands for categorization of languages as classical languages :—

Dr. Anvita Abbi
Professor of Linguistics
Center of Linguistics and English School of Language
Literature and Culture Studies,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi-110067
Phone : 26172401, 26174154 (Home)/26704234 (Uni.)
Fax : 011-26165886 (Fax)
E-mail: anvitaabbi@hotmail.com

Dr. K.V. Subbarao
Department of Linguistics,
New Arts Faculty Building,
University of Delhi,
New Delhi-110007
Phone : 011-27667126 (O)/27141791 (R)
Mobile : 9810605455
E-mail:kvs2@vsnl.com

Prof. Udaya Narayana Singh
Director
Central Institute of Indian Languages
Manasagangotri
Mysore-570006
Phone : 0821-2515820
Fax : 821-2515032
E-mial chasha@sancharnet.in/
udaya@ciil.stpmy.soft.net

Dr. B.N. Patnaik (Retired)
Professor of English (Linguistics)
Head, Centre for Creative Writing and Publication,
Indian Institute of Technology Kanpur,
Deptt. of Humanities and Social Sciences
Kanpur-208016
Phone : 0512-2592205/2598327 (R)/2597632 (D)

Fax : 0512-2590260/2590007
E-mail: panaik@iitk.ac.in

Prof. Bh. Krishnamurti
H.No. 12-13-1233, "Bhaarati"
Street No. 9, Tarnaka
Hyderabad-500017
Phone : 040-27005665
E. mail: hydi bhk@sancharnet.in

President,
Sahitya Akademi (Ex-Officio Member)

The Ministry of Culture will bring to the notice of the above Committee the request received by it for their consideration.

The Committee shall consider such future claims for declaration of any language as one of the classical languages on the following objective criteria :—

(a) High antiquity of its early texts/recorded history over a thousand years.

(b) A body of ancient literature/texts, which is considered a valuable heritage by generations of speakers.

(c) The literary tradition has to be original and not borrowed from another speech community.

(d) The classical language and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with its later forms or its offshoots (like Latin *Vs.* Roman, Sanskrit-Pali *Vs.* Prakrit and Modern Indo-Aryan).

Whereas the Government of India have further decided that the following benefits shall be available to the languages declared or notified as classical languages:—

(i) Two major international awards for scholars of eminence in Classical Indian languages are awarded annually.

(ii) A 'CENTRE OF EXCELLENCE FOR STUDIES IN CLASSICAL LANGUAGES' is set up.

(iii) The University Grants Commission be requested to create, to start with at least in the Central Universities, a certain number of Professional Chairs for Classical Languages for scholars of eminence in Classical Indian languages.

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.